

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्र : रीडर/2025/ 9326

दिनांक - 19.11.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गुमनाराम पुत्र मगाराम 2 घमण्डाराम 3 जेठाराम 4 मूलाराम 5 मेहराराम 6 मानाराम पिसरान गुमनाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

1 मानाराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 753/2025

दिनांक—

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 805/688 रकबा 1.5945 हैक्टेयर, खसरा संख्या 807/701 रकबा 1.1817 हैक्टेयर, खसरा संख्या 808/722 रकबा 4.9048 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6810 हैक्टेयर मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 875/618 रकबा 6.0055 हैक्टेयर तथा मौजा पांचोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 718/646 रकबा 3.1484 हैक्टेयर व खसरा संख्या 720/646 रकबा 0.6425 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7959 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक— 19.11.25

मांक :- रीडर/2025/ 9327-30

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गुमनाराम पुत्र मगाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मानाराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर